28.12.18

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक --08.1.19-- को पेश हो।

8.1.19

पत्रावली पेश हुई, वकील वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 उपस्थित। वादीगण की ओर से वकील वादी ने दस्तावेज मय फर्द प्रस्तुत किये, जो शा0 मि0 किये गये। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 को सुना गया। वकील वादीगण ने कथन किये कि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की ओर से से पूर्व में इकबालिया जवाब एवं साक्ष्य शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 उमेश नागर पुत्र भगतराम का प्रस्तुत किया जा चुका है, प्रतिवादी नं0 1 ने स्वयं उपस्थित होकर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जानें का निवेदन पूर्व में कर दिया है, जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित की जावें। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात् का प्रकरण में वांछित रिलीफ के क्रम में मनन किया गया। वादीगण 1 लगायत 5 प्रतिवादी नं0 1 की संतानें है तथा वादी नं0 6 प्रतिवादी नं0 1 की पत्नी है। वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट में प्रस्तुत कर प्रतिवादी नं0 1 के साथ उसके हिस्से की आराजी में सहखातेदार घोषित किये जानें की रिलीफ चाही है, अन्य सहखातेदारान् के खिलाफ किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही है। प्रकरणाधीन भूमि वाके ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद के ख0नं0 79/766 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 93 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 99 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 100 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 101 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 106 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 172 रकबा 1.16 हे0, ख0नं0 175 रकबा 1.49 हे0, ख0नं0 176 रकबा 0.14 हे0, 204 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 390 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 623 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 627/1 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 650 रकबा 2.84 हे0, ख0नं0 650/901 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 688 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 712 रकबा 2.71 हे0, ख0नं0 722 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 935 रकबा 2.64 हे0, ख0नं0 1011 रकबा 2.19 हे0, ख0नं0 1016 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 1017 रकबा 2.10 हे0,

ख0नं0 1020 रकबा 3.20 हे0, ख0नं0 1021 रकबा 2.44 हे0, ख0नं0 1034 रकबा 3.73 हे0, ख0नं0 1039 रकबा 2.85 हे0, ख0नं0 1088 रकबा 2.07 हे0, ख0नं0 1104 रकबा 0.56 हे0 कुल किता 28 रकबा 34.29 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 का 1/3 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सं0 2071–74 से जाहिर आता है। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात् जमाबंदी सं0 2013–32 व जमाबंदी सं0 2032–35 एवं मिलान क्षेत्रफल सं0 2043–62 के अवलोकन से विवादित आराजी का पुश्तेनी होना प्रमाणित होता है। इस प्रकार प्रकरण में यह तय है कि विवादित आराजी पुश्तेनी है। चूंकि विवादित आराजी प्रतिवादी नं0 1 को अपनें पिता नाथूलाल की विरासत से प्राप्त हुई है तथा वादीगण नें अपनें पिता प्रतिवादी नं0 1 के जीवित रहते हुए पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा चाही है। वादीगण द्वारा वांछित रिलीफ के कम में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में मनन करनें के उपरान्त वादीगण 1 लगायत 5 विवादित आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें के अधिकारी प्रतीत होते है। वैसे भी प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 नें प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है तथा अन्य प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5 से किसी प्रकार की रिलीफ नही चाही गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

परिणामतः वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 79/766 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 93 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 99 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 100 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 101 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 106 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 172 रकबा 1.16 हे0, ख0नं0 175 रकबा 1.49 हे0, ख0नं0 176 रकबा 0.14 हे0, 204 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 390 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 623 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 627/1 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 650 रकबा 2.84 हे0, ख0नं0 650/901 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 688 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 712 रकबा 2.71 हे0, ख0नं0 722 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 935 रकबा 2.64 हे0, ख0नं0 1011 रकबा 2.19 हे0, ख0नं0 1016 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 1017 रकबा 2.10 हे0, ख0नं0 1020 रकबा 3.20 हे0, ख0नं0 1021 रकबा 2.44 हे0, ख0नं0 1034 रकबा 3.73 हे0, ख0नं0 1039 रकबा 2.85 हे0, ख0नं0 1088 रकबा 2.07 हे0, ख0नं0 1104 रकबा 0.56 हे0 कुल किता 28 रकबा 34.29 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 भगतराम पुत्र नाथूलाल निहित हिस्से में वादी नं0 1 गौरव नागर पुत्र भगतराम, वादी नं0 2 हितेश नागर पुत्री भगतराम, वादी नं0 3 नितेश नागर पुत्री भगतराम, वादी नं0 4 उमेश नागर पुत्र भगतराम, वादी नं0 5 हर्ष नागर पुत्र भगतराम को प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. गौरव नागर पुत्र भगतराम निवासी चन्द्रावला तहसील दीगोद हाल निवासी 2–ज–17, सेक्टर–2, टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा जिला कोटा
2. हितेश नागर पुत्री भगतराम पत्नी धीरज निवासी ग्राम मण्डाप तहसील सांगोद जिला कोटा
3. नितेश नागर पुत्री भगतराम
4. उमेश नागर पुत्र भगतराम
5. हर्ष नागर पुत्र भगतराम
6. चन्द्रकला नागर पत्नी भगतराम जाति धाकड निवासीगण चन्द्रावला तहसील दीगोद हाल निवासी 2–ज–17, सेक्टर–2, टीचर्स कॉलोनी, केशवपुरा कोटा जिला कोटा

–वादीगण

बनाम

1. भगतराम पुत्र नाथूलाल
2. देवीलाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड निवासीगण चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा
3. महावीर पुत्र प्रहलाद जाति धाकड निवासी चन्द्रावला तहसील दीगोद हाल निवासी 3–सी–13 महावीर नगर, विस्तार योजना कोटा जिला कोटा
4. सुखवीर पुत्र प्रहलाद
5. गीता देवी बेवा प्रहलाद जाति धाकड निवासीगण चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर0 टी0 एक्ट

मिसल नम्बर–102/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ कैलाश चन्द शर्मा आर.ए.एस. बहाजिरी श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट मिनजानिब मुददई रुबरु मिनजानिब मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

...र आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 79/766 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 93 रकबा 0.52 हे0, ख0नं0 99 रकबा 0.07 हे0, ख0नं0 100 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 101 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 106 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 172 रकबा 1.16 हे0, ख0नं0 175 रकबा 1.49 हे0, ख0नं0 176 रकबा 0.14 हे0, 204 रकबा 0.28 हे0, ख0नं0 390 रकबा 0.35 हे0, ख0नं0 623 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 627/1 रकबा 0.09 हे0, ख0नं0 650 रकबा 2.84 हे0, ख0नं0 650/901 रकबा 0.05 हे0, ख0नं0 688 रकबा 0.95 हे0, ख0नं0 712 रकबा 2.71 हे0, ख0नं0 722 रकबा 0.12 हे0, ख0नं0 935 रकबा 2.64 हे0, ख0नं0 1011 रकबा 2.19 हे0, ख0नं0 1016 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 1017 रकबा 2.10 हे0, ख0नं0 1020 रकबा 3.20 हे0, ख0नं0 1021 रकबा 2.44 हे0, ख0नं0 1034 रकबा 3.73 हे0, ख0नं0 1039 रकबा 2.85 हे0, ख0नं0 1088 रकबा 2.07 हे0, ख0नं0 1104 रकबा 0.56 हे0 कुल किता 28 रकबा 34.29 हे0 भूमि में प्रतिवादी नं0 1 भगतराम पुत्र नाथूलाल निहित हिस्से में वादी नं0 1 गौरव नागर पुत्र भगतराम, वादी नं0 2 हितेश नागर पुत्री भगतराम, वादी नं0 3 नितेश नागर पुत्री भगतराम, वादी नं0 4 उमेश नागर पुत्र भगतराम, वादी नं0 5 हर्ष नागर पुत्र भगतराम को प्रतिवादी नं0 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।" तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 08.01.2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वज़ूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(कैलाश चन्द शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद